

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प. 18(35)नविवि/सेक्टर प्लान/2015

जयपुर, दिनांक

20 APR 2022

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दृष्टिगत जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु अभियान अवधि में राजस्थान नगर सुधार न्यास (जोनल डवलपमेंट प्लान) नियम-2021 तथा राजस्थान नगर पालिका (जोनल डवलपमेंट प्लान) नियम-2021 के नियम 3 के अन्तर्गत आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु निर्धारित समयावधि को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

"तैयार किये गये प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान पर आमजन से 14 दिवस में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जावे तथा आवश्यकता होने पर इस अवधि को न्यास द्वारा अतिरिक्त 07 दिवस तक बढ़ाया जा सकता है।"

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से



(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव



(मनीष चौधरी)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान/एन.सी.आर, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त
10. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम